विचार बिन्दु

उपकार करके जताना इस बात का प्रतीक है कि किया गया समर्थन या कार्य उपकार नहीं है। –अज्ञात

नया भारत, सवाल - मुक्त भारत

जब से देश स्वतंत्र हुआ है, हम कुछ नारे समय-समय पर सुनते रहे हैं, चाहे सरकार किसी भी क्यों न हो। इनमें से कुछ प्रमुख हैं, भूख - मुक्त भारत, कुपोषण - मुक्त भारत, निरक्षरता - मुक्त भारत, भ्रष्टाचार - मुक्त भारत, शोषण - मुक्त भारत आदि-आदि। इस प्रकार का भारत बनाने के लिए विभिन्न सरकारों ने अनेक प्रयास किए, किंतु ऐसा भारत अभी तक बन नहीं पाया है। जिस प्रकार की स्थिति आज बन गई है, उससे तो यही कहावत सिद्ध हो रही है–''जैसे-जैसे दवा की मर्ज बढ़ता गया''।

स्वतंत्रता के 78 साल बाद भी भारत, असमानता, गरीबी, भ्रष्टाचार प्रेस स्वतंत्रता आदि के मानदंडों में विश्व में सबसे निचले स्थान वाले देशों में है।

भारत एक लोकतंत्र है, जिसका अर्थ ही यह है कि लोक की सत्ता सर्वोच्च है। तंत्र से यह अपेक्षा होती है कि वह लोक की भावना का सम्मान करे और अपनी योजनाएं इस प्रकार से बनाए कि वह उसके हितों का संवर्धन कर सके । सत्ता में बैठे लोग, स्वयं को जनता का सेवक समझें और अपनी क्षमता के अनुसार उनकी बेहतरी के लिए काम करे। जब कभी ऐसा होता ना दिखे तो लोक यानी नागरिक का यह अधिकार है कि वह सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछे। सत्ता में बैठे लोगों का यह कर्तव्य है कि वे पूछे गए प्रश्नों का संतोष जनक उत्तर दें। कई बार जब अकेला नागरिक कोई प्रश्न करने में समर्थ नहीं होता है तो उनकी ओर से यह काम नागरिक संगठनों या मीडिया द्वारा किया जाता है।

गत कुछ वर्षों की विभिन्न घटनाओं पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट होता है कि आजकल सबसे जोखिम भरा काम सवाल पूछना हो गया है। इसके उदाहरण प्रतिदिन हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख करना उचित होगा।

हाल ही में दिल्ली से भोपाल जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में एक यात्री रजतप्रकाश ने अपना टिकट खिड़की के पास वाली सीट का बुक कराया और उसी पर पर वह बैठकर यात्रा कर रहा था । तभी, मध्यप्रदेश का एक विधायक वहां पर आया और उसे सीट बदलने के लिए कहा। जब उसने ऐसा करने के लिए नम्रता पूर्वक मना कर दिया तो झांसी रेलवे स्टेशन पर विधायक के कुछ लोगों ने ट्रेन में चढ़कर राज प्रकाश पर लातों, घूंसों की बौछार कर दी। इसके कारण राज प्रकाश लगभग अधमरा सा हो गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। उसका दोष केवल यही था कि उसने विधायक के इच्छा अनुसार अपनी आवंटित सीट रिक्त नहीं की और उनसे इस बारे में प्रश्न पूछ लिया।

वैसे तो पूरे देश में ही प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। अपेक्षा यही की जाती है आपसे अधिक ताकतवर या सत्तासीन व्यक्ति द्वारा कही हुई हर बात को आप न केवल स्वीकार करें अपितु उसकी तारीफ में कशीदे भी पढ़ें। यही आजकल, सफलता की सीढ़ी बन गई है। प्रश्न पूछना वैज्ञानिक सोच की पहचान है और इसी वैज्ञानिक सोच को विकसित करने की जिम्मेदारी संविधान के अनुसार सरकारों पर है, किंतु आजकल प्रश्न पूछने पर , उसका किसी न किसी प्रकार उत्पीड़न प्रारंभ कर दिया जाता है।

जब देश में बेरोजगारी चरम पर हो और गरीबी के कारण 80 करोड लोगों को मुफ्त में राशन बांटना पड़े और कोई नागरिक इसे सरकार की विफलता बताते हुए उससे प्रश्न कर ले तो उसे देश विरोधी करार दे दिया जाता है। सवाल नोटबंदी या अचानक देश में लॉकडाउन के कारण होने वाली परेशानियों के बारे में हो, इसे पसंद नहीं किया गया। यदि पहलागाम में निर्दोष पर्यटकों को बेरहमी से मारने वाले आतंकियों को न पकड़ पाने के कारण कोई नागरिक प्रश्न कर ले, तो उसे भी राष्ट्र विरोधी घोषित करने में सत्ता धारी दल कोई समय नहीं लगाता।

भारत के अपने पड़ौसी देशों से खराब संबंध हों, तब भी आप विदेशी नीति पर कोई सवाल नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार-बार भारत और भारतीयों का अपमान करे और पाकिस्तान को महान देश बताए तब भी आप सरकार की विदेश नीति पर सवाल नहीं कर सकते। ट्रंप द्वारा सीजफायर कराने की बात बार बार कहने पर भी, प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से इसका खंडन न करने पर इसे विदेश नीति की असफलता कहते हुए सरकार से कोई प्रश्न कर ले तो यह भी सत्ता धारी लोगों को परेशान कर देता है। सरकार ऐसे प्रश्न पूछने वालों पर पर ही कार्रवाई प्रारंभ कर देती है।

आजकल तो सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई है। यदि कोई वकील किसी की पैरवी करे जिससे सरकार प्रसन्न नहीं है तो उसे भी नोटिस मिल जाता है और उससे यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है कि उसने कैसी कानूनी सलाह अपने मुवक्किल को दी है? जब वकील द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो ई डी द्वारा उन्हें ही नोटिस दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट दातार और वेणुगोपाल के विरुद्ध ऐसे नोटिस दिए गए।हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल रोक लगा दी, किंतु इससे सत्ताधारी लोगों की मंशा पर तो प्रश्न चिन्ह लगता ही है।

आज जिस प्रकार की विदेश नीति भारत की हो गई है, उसके बारे में क्या किसी का यह साहस हो सकता है कि वह सरकार से निम्न प्रश्न पूछे:–

भारत ने सदैव अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए बिना किसी दबाव की परवाह किए सच का साथ दिया। ऐसी नीति के कारण भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करने वाले देशों में रहा। हमारे संबंध किसी देश से कभी अत्यंत खराब कभी नहीं हुए।

प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रमुखों को बुलाकर यह संदेश दिया था कि वे भारत के पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों को महत्व देते हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में भी 2015 में यह भाषण दिया था कि उनके लिए 'नेबरहुड फर्स्ट' की नीति रहेगी, अर्थात उनके लिए पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाना प्राथमिकता होगी। आज हमारे संबंध नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, किसी से अच्छे नहीं हैं। अब तो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता और समझौते हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ?

क्यों भारत यह साहस नहीं जुटा पाता कि वह इजराइल द्वारा गाज़ा में किए जा रहे नरसंहार की निंदा कर सके।

सबसे अच्छा तरीका तो यह होगा कि प्रधानमंत्री अपने 11 साल के कार्यकाल पर एक खुली प्रेस वार्ता आयोजित करें (जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली होगी), जिसका सीधा प्रसारण सभी राष्ट्रीय चैनलों से किया जाय। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रधानमंत्री अपनी उत्कृष्ट वाक कला और वाक चातुर्य से अपने आलोचकों का मुंह बंद कर देंगे।

इजरायल - ईरान में हम ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? 1994 में ईरान के साथ के कारण ही भारत के विरुद्ध कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का मामला संयुक्त राष्ट्र में नहीं जा पाया था। यह उल्लेखनीय कि ईरान और भारत का संबंध हजारों वर्ष पुराना है। पाठकों को यह याद दिलाना उपयुक्त होगा कि 1994 में जब ओ आई सी (ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज) के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाना था कि भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो ईरान ने अपने अकेले बलबूते पर इस प्रस्ताव को पारित होने से रोका। ओ आई सी में प्रस्ताव पारित होने के लिए सर्वसम्मति होना आवश्यक था। ईरान द्वारा इसका विरोध करने पर यह पारित नहीं हो पाया। इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती विदेश मंत्री दिनेश सिंह को ईरान भेजा । वे सुबह जाकर शाम को वापस भारत पहुंचे और दिनभर उन्होंने ईरान के राजनीतिकों के साथ बात करके उन्हें संतुष्ट किया। फिर ओ आई सी में ईरान ने भारत के पक्ष में मत दिया। इसके कारण भारत को मानवाधिकार उल्लंघन के आने वाले प्रस्ताव से बचाया। आज भारत वह सब भूल गया। हमारी विदेश नीति में इस प्रकार का भटकाव क्यों आ गया?

जिस समय भारत विदेशी मुद्रा के संकट से गुजर रहा था उस समय ईरान ने भारत से रुपए में व्यापार करने का निर्णय लेकर भारत की बहुत सहायता की थी। वर्तमान संघर्ष में भारत की विदेश नीति में इस प्रकार के बदलाव के क्या कारण हैं ?

भारत सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भारत का पक्ष स्पष्ट करने के लिए सर्वदलीय सांसदों के दलों को 51 देशों में भेजा जिनमें गुयाना, मेक्सिको, लातविया जैसे सुदूर देश भी थे, किंतु भारत का पक्ष स्पष्ट करने के लिए किंतु किसी भी पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका में अपने सांसदों को नहीं भेजा । हमारी 'नेबर हुड फर्स्ट' की नीति का क्या हुआ? क्या हमने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की नीति को त्याग दिया है?

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 14 बार यह कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया और वे पाकिस्तान को भी महान देश मानते हुए उसे भारत के समकक्ष रखते हैं । इस ट्रंप के इस कथन का, प्रधानमंत्री मोदी उन्हें फोन करके विरोध क्यों नहीं कर पाए? राष्ट्रपति ट्रंप के झूठ का सार्वजनिक रूप से खंडन क्यों नहीं किया गया? क्या इसे भारत की विदेश नीति की कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए?

पाकिस्तान की सेना के प्रमुख मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप अपने साथ भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं किंतु प्रधानमंत्री मोदी, ट्रंप द्वारा की गई गलत बात का प्रतिकार भी नहीं कर पाते ।

आज भारत के पास ऐसा विदेश मंत्री है जिसके पास लंबे समय तक विदेश सचिव रहने का अनुभव है । उसके बावजूद भी क्यों हमारे संबंध सभी देशों से अच्छे नहीं हैं? क्यों हम संयुक्त राष्ट्र संघ में गाज़ा पर हमले करने के लिए इजरायल के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर पाए जबकि 149 देशों ने ऐसा किया था?

विदेश नीति में हो रहे परिवर्तन के बारे में यदि चर्चा हेतु संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग विपक्ष द्वारा की जाती है तो उसे पर सरकार द्वारा क्यों इंकार किया जाता है? क्या सरकार विदेश नीति के बारे में सांसदों को बताना तक नहीं चाहती? वह क्यों नहीं संसद में सांसदों के उन प्रश्नों का सामना करना चाहती है कि आज भारत के पक्ष में सभी देश क्यों नहीं खड़े हैं?

ऐसा प्रतीत होता है कि सवाल पूछने की संस्कृति को एक निश्चित योजना अनुसार नष्ट किया जा रहा है। अब कोई किसी अधिकारी या सरकार से प्रश्न नहीं कर सकता है। प्रश्न करने और जानकारी देने से बचने के लिए सरकार ने सूचना का अधिकार कानून तथा चुनाव संबंधी निर्देशों में कई बदलाव कर दिए हैं।

प्रश्न पूछने से रोक कर हम लोकतंत्र की रक्षा किस प्रकार कर पाएंगे? कोई ऐसी परिस्थितियों का हाल बताते हुए लोकतंत्र के खतरे में होने की बात करे, तो उसे ही राष्ट्रदोही घोषित कर दिया जाता है।

भविष्य में क्यों कोई नागरिक या मीडिया, सरकार से सवाल पूछने का साहस करेगा? हालत यह हो गई है कि आप चाहे कविता लिखते हों, व्यंग्यकार हों, कार्टून बनाते हों या कोई पुस्तक लिखते हों, यदि आप किसी भी प्रकार से सरकार की नीतियों की आलोचना करें तो फिर सरकार की कार्यवाही के लिए तैयार रहिए ।

यह स्पष्ट होना चाहिए कि जब हम दूसरों के लिए सवाल नहीं उठाएंगे तो समय आने पर दूसरे भी हमारे लिए सवाल उठाने के लिए आगे नहीं आएंगे। यही सवाल नहीं उठाने की प्रवृत्ति ही निरंकुशता और तानाशाही को प्रोत्साहित करती है।

आशा की जानी चाहिए कि संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट नहीं चढ़े और उपरोक्त विषयों पर खुलकर चर्चा हो ताकि देश के समक्ष कई अनुत्तिरत प्रश्नों के उत्तर आ सकें ।

सबको यह समझना होगा कि सरकार, देश नहीं है । देश, सरकार से कहीं बड़ा होता है। देश, सबका है चाहे कोई सत्ता में हो अथवा विपक्ष में, गरीब हो या अमीर, मजदूर हो या किसान, मालिक हो या नौकर । यदि सरकार कभी नागरिकों के हित के विरुद्ध कोई काम करती दिखाई दे और कोई नागरिकों का संगठन अथवा मीडिया, इस बारे में सरकार से कोई सवाल पूछे तो उसे देश से सवाल पूछना नहीं माना जा सकता। सही देशभक्त तो वही कहलाएगा जो सरकार द्वारा देश और नागरिकों के हित के विरुद्ध किए जा रहे कामों के बारे में सरकार से स्पष्टीकरण मांगे। सवाल करना नागरिक का अधिकार है और उसका संतोषप्रद उत्तर देना सरकार का कर्तव्य। सवाल मुक्त भारत, कभी मजबूत लोकतंत्र नहीं बन सकता। आइए, हम सवाल पूछने की संस्कृति को बनाए रखने और पोषित करने में अपना योगदान दें।

सबसे अच्छा तरीका तो यह होगा कि प्रधानमंत्री अपने 11 साल के कार्यकाल पर एक खुली प्रेस वार्ता आयोजित करें (जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली होगी), जिसका सीधा प्रसारण सभी राष्ट्रीय चैनलों से किया जाय। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रधानमंत्री अपनी उत्कृष्ट वाक कला और वाक चातुर्य से अपने आलोचकों का मुंह बंद कर देंगे।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

अनंतम कल्याण का स्तंभ, अंत्योदय दर्शन

डॉ. निमिषा गौड़

भारतीय राजनीतिक विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सर्वस्पर्शीय एवं सर्व समावेशी विकास की नींव है, अंत्योदय दर्शन। जिसमें सभी के समान कल्याण एवं अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के भाव निहित है। जब दुनिया में अमीरी और गरीबी की खाई को बढ़ाने और घटाने के द्वन्द्व के मध्य पूंजीवाद साम्यवाद की राजनीतिक विचारधारा का चलन स्थापित हो रहा था तब भारत में लोकतांत्रिक दर्शन से उपजे हर व्यक्ति के कल्याण का दर्शन, परिपक्व हो गया था। जिसमें शून्य से लेकर शिखर तक शासन तंत्र की समानांतर सक्रियता को समाहित करने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों की महक का बीजारोपण हो रहा था।

भारत के पारंपरिक मूल स्वभाव के अनुरूप साठ के दशक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के सिद्धांत को राजनीतिक तंत्र में समाहित करने का मूल मंत्र दिया, जिसमें व्यक्ति समाज और राज्यको एक स्वरूप आत्मा दृष्टि से स्वीकारा है।

राज्य का विकास अंतिम व्यक्ति के विकास पर ही सार्थक है और यही अनंत्तम कल्याण का स्वरूप है।

जनसंघ के संस्थापक विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन में प्रत्येक मनुष्य को चतुष्टा आत्मा का स्वरूप माना है जिसमें शरीर मन बुद्धि और आत्मा का समन्वित स्वरूप है तदानुसार राज्य के विकसित दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु मनुष्य का संपूर्ण कल्याण ही होना चाहिए। एकात्म मानव दर्शन के अनुसार व्यक्तियों के संगठन से बना समाज और राष्ट्र एकात्म है प्रत्येक भारतीय का आर्थिक विकास भारत की पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित हो। इसमें समाज के अंतिम छोर में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक शासकीय तंत्र की सहायता उपलब्धता होने का दृष्टिकोण दिया गया है।

इन्हीं राजनीतिक सिद्धांतों के ओत-प्रोत राजनीतिक दल जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के उद्गगम का मार्ग निर्धारित हुआ। वर्ष 2014 से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार ने एकात्मक मानव प्रेरित अंत्योदय दर्शन के संकल्प से विकसित भारत के नवनिर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया। हर भारतीय तक कल्याणकारी राज्य की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2015 में ई-गवर्नेंस की अवधारणा से प्रेरित डिजिटल अभियान का शुभारंभ किया यह एक ऐसा अभियान रहा, जिसमें हर भारतीय का आर्थिक सामाजिक व्यक्तिगत विकास सुनिश्चित होना तय था।

शासकीय तंत्र में भ्रष्टाचार की दीमक पर भारत के डिजिटलीकरण अभियान ने कड़ा प्रहार किया ओर 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से मुक्त कर दिया। जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त करने हेतु 55.22 करोड़ जनधन खाते खोले गए जिसमें वर्ष 2014 से 43.8 लाख करोड़ धन राशि गरीबों, वंचितों के बैंक खातों में सीधी पहुंची।

भारत के प्रशासन तंत्र में जैम त्रिशक्ति अंत्योदय के सिद्धांत की प्रेरणा है जिसमें जनधन बैंक, आधार सत्यापन और मोबाइल ने 40 अरब की सेंधमारी पर लगाम लगाई। अब बिना मध्यस्थ के लाभार्थी आत्म सम्मान के साथ लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है।

अंत्योदय दर्शन के पथ प्रदर्शक बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में 6.1 प्रतिशत की मजबूत जीडीपी ग्रोथ, बढ़ते निर्यात, रिकॉर्ड एफडी तेजी से भारतीयों के बढ़ते स्टार्टअप के साथ एकल टैक्स जीएसटी, जनकल्याणकारी योजनाएं, आधारभूत संरचना को बढ़ावा देते डिजिटलीकरण ने भारतीय अर्थ व्यवस्था को दस दशक तक आगे ला दिया है। मोदी मिशन के विजन ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास'' को 140 करोड़ देशवासियों ने सिद्ध किया है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सार्वभौमिक भा चारे की देन है पीएम मोदी का जन कल्याणकारी शासन और भारत का एक आत्मविश्वासी व करुणाशील वैश्विक नेतृत्व। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर कोविड महामारी ने भारत की विविधता में एकता का परिचय पुनेश्चच: दुनिया को दिया है।

यूक्रेन-रूस और ईरान-इजरायल तनाव के मध्य में भारत के प्रधानमंत्री ने फिर से दोहराया है कि यह युद्ध का समय नहीं है, वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री G7 समिट के पश्चात क्रोशिया के दौरे पर गए एक जिसमें एक ओर संदेश दुनिया को दिया है कि सभी राष्ट्रों का समान-सम्मान भारतीयता की पहचान है। पश्चिमी देशों की पूंजीवादी विचारधारा गरीब को गरीब ही मानती है जबकि एकात्म मानव दर्शन गरीब वंचित तक विकास सुनिश्चित करता है जिन्हें पूंजीवाद एवं साम्यवादी विचारधारा ने शोषित वर्ग घोषित कर दिया है।

पिछले 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का शासन काल भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने का शासन काल रहा है एकात्मक मानव के अंत्योदय दर्शन ने समय सीमा से भारत के वित्त, उद्यम ओर मानव जीवन को सुगम बनाने से संबंधित सेवाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। हाल ही में होम क्रेडिट इंडिया के द ग्रेट इंडियन वॉलेट 2025 सर्वे के अनुसार भारत का निम्न मध्यम वर्ग अपने वित्तीय भविष्य को लेकर आश्वास हो रहा है वर्ष 2025 तक यूपीआई का उपयोग 80þ तक बढ़ गया है।

इसी आधार पर 73 प्रतिशत परिवारों को विश्वास है कि वह आगामी 5 वर्षों में अपने वित्तीय लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। राजस्थान में अंत्योदय योजनाओं से गरीब और गरीबी की वेदना से मुक्ति का बीड़ा सर्वप्रथम पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने उठाया था उनके शासनकाल में अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए भोजन का प्रबंध किया गया।

आज इस अंत्योदय दर्शन की तर्ज पर मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शासन 8 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए सर्व कल्याण के लिए प्रखरता से कार्यरत है।

समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशासकीय कार्यों का संचालन हर जिले के पंच गौरव से लेकर शहरों गांवों ढाणियों तक एक लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 19000 रूफटॉप सोलर संयंत्र, 10.74 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल तथा 1.10 लाख नए घरेलू पाइपलाइन कुकिंग गैस कनेक्शन बीपीएल परिवारों को 450 रुपए में घरेलू सिलेंडर देकर सर्व स्पर्शी विकास की नींव को सीचां जा रहा है।

केंद्र राज्य की डबल इंजन सरकार अब ट्रिपल इंजन की और उन्मुक्तता से बढ़ रही है नगर पालिका एवं पंचायत के आगामी चुनाव में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ने स्थानीय स्वशासन की तस्वीर बदल दी है जिसके आधार पर अंत्योदय की सार्थकता से चारों जातियां गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति का समावेशी विकास हो रहा है।

आंपणों अग्रणी राजस्थान से लेकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में प्रकृति ने भी आशीर्वाद स्वरुप चौतरफा मरू राज्य में हरियाली की बाहर को निमंत्रण दे दिया है। वर्ष 2024 में राजस्थानवासियों की प्रेरक मुख्यमंत्री जी ने आगामी 4 वर्षों में राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर लिया है।

–डॉ. निमिषा गौड़,
असिसटेन्ट प्रोफेसर
कनोड़िया पी. जी. महिला महाविद्यालय, जयपुर।

व्यापारिक शीत युद्ध

रामनिवास बैरवा

जनता हमेशा शान्ति चाहती है तथा सरकारें अपनी सार्थकता को साबित करने के लिए युद्ध चाहती हैं। विकसित पूंजीवादी लोकतन्त्रों में सरकारें अपनी ही जनता के शोषण के लिए दूसरे देशों से लगी अपने देश की सीमाओं की समस्या बनाये रखती हैं। किन्तु व्यापारिक पूंजीपति बाजारों पर अधिकार करने या एन पर एकाधिकार बनाये रखने के लिए अपने-अपने देशों की सरकारों को उकसाते हैं।

नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद यूरोपीय देशों ने कंसर्न नामक संस्थान के माध्यम से आपस में शान्ति बनाये रखने का काम किया। इस दौरान यूरोप में, विशेष तौर पर फ्रांस में, 1848 में, फिर 1871 में क्रान्तियां हुईं जिन्होंने यूरोपीय जनता को प्रभावित किया। परिणामस्वरूप यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ जिसके कारण जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी, रूस आदि अपने देशों की सीमाओं को बढ़ाने के लिए संघर्षरत हुए और अंतत: पहला विश्वयुद्ध हुआ।

उस युद्ध के परिणामस्वरूप जर्मनी आदि की हार होने पर अन्य विजेता देशों ने युद्ध का हर्जा-खर्चा जर्मनी से वसूलने के समझौते किये। उस हर्जे-खर्चे के भुगतान के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बरबाद हो गई और हिटलर का उदय हुआ।

उधर अमरीका ने पहले विश्वयुद्ध में अपना पैसा खूब लगाया ब्रिटेन, फ्रांस के माध्यम से, लेकिन वह अमरीका को वापस नहीं मिला। उसी युद्ध के दौरान रूस में सोवियत क्रांति सम्पन्न हुई, और उसने जर्मनी से ब्रेस्त लितोवस्क की शान्ति संधि की। इससे अमरीका अपने हितों को लेकर चिंतित हो गया और 1917 में सोवियत क्रान्ति के समय अमरीका उस युद्ध में शामिल हुआ।

दूसरा विश्व युद्ध उसी जर्मनी की पहल कदमी से शुरू हुआ। लेकिन अमरीका पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के बाद जापान के विरूद्ध 8 दिसम्बर, 1941 को युद्ध में उतरा, और 11 दिसम्बर, 1941 को जर्मनी, इटली भी अमरीका के विरूद्ध युद्ध की घोषणा की। उसके बाद सोवियत संघ से शान्ति संधि को खतम करके जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। लेकिन सोवियत सेनाओं के अथक संघर्ष के कारण सोवियत संघ भी मित्र देशों में शामिल कर लिया गया, सिर्फ सैनिक अभियानों के आधार पर, लेकिन अन्य मित्र देशों ने सोवियत कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं किया। अंतत: सोवियत सेनाओं के दबाव में हिटलर ने 30 अप्रैल, 1945 को आत्महत्या कर ली, 09 मई, 1941 को जर्मन सेनाओं ने बर्लिन में सोवियत सेनाओं के सामने आत्म समर्पण कर दिया और दूसरा विश्वयुद्ध भी खतम हो गया, बर्लिन सहित जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया- एक पश्चिमी पूंजीवादी देशों का सहायक और पर्व जर्मनी सोवियत संघ के प्रभाव में रहा। उधर 15 अगस्त, 1945 को जापानी सेनाओं ने ब्रिटिश सेनाओं के सामने आत्म समर्पण कर दिया।

इससे पहले, भविष्य की विश्व अर्थव्यवस्था का स्वरूप तय करने के लिए 1944 में अमरीका में 'ब्रेंटन वुड' का समझौता किया गया। तब तक ब्रिटेन विश्व अर्थव्यवस्था का नायक था, लेकिन अब यह उत्तरदायित्व अमरीका ने ले लिया था। अत: अमरीका ने अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाकर ब्रिटेन और सोवियत संघ को प्रभावित करना था। इसी कड़ी में अमरीका ने विश्वयुद्ध के लगभग समाप्त हो जाने के बाद भी जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमश: 6 और 9 अगस्त, 1945 को परमाणु बम गिराकर मानवता के प्रति अपनी क्रूरता को दिखाते हुए अपनी सैनिक क्षमता को प्रकट किया। नतीजा यह रहा कि दूसरे विश्वयुद्ध के हर्जे-खर्चे की भरपाई किसी भी पराजित देश जर्मनी, जापान या इटली से नहीं की गई, बल्कि उनके पुनर्निर्माण में सहायता की गई।

अमरीका द्वारा यह सब करने का उद्देश्य था सोवियत संघ के प्रभाव को नियन्त्रित करना और विश्वभर में कम्युनिस्ट विरोधी अभियान का नेतृत्व करना। चूंकि, सोवियत संघ की सैनिक क्षमता से और आर्थिक व्यवस्था के नियमन से पूरी दुनिया परिचित हो चुकी थी अत: अब पूंजीवादी साम्राज्यवादी देश अपने बचाव में आ गये। और तब शुरू हुआ छुटपुट लड़ाइयों का शीत युद्ध काल, जिसमें अमरीका और सोवियत संघ कभी आमने सामने नहीं हुए।

शीत युद्ध के काल में जहां-जहां भी अमरीका ने सीधे लड़ाइयां लड़ीं, उसे हार का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए - कोरिया, विएमनाम, कंबोडिया आदि। इन लड़ाइयों के मूल्यांकन से यूरोपीय देश ये आसानी से समझ सके कि अमरीका की सैनिक क्षमता विजय दिलाने योग्य नहीं है, बस परमाणु बम तथा अन्य घातक हथियारों के बल पर दूसरे देशों को भयभीत करके आतंकित कर सकता है।

सोवियत संघ के विघटन की पूर्व भूमिका के रूप में अमरीका ने 'राष्ट्रवाद' को बढ़ावा देने की बदले धार्मिक उग्रवाद को बढ़ावा दिया। अफगानिस्तान इसका उदाहरण है। हालांकि सोवियत संघ के विघटन के बाद अमरीका विश्व की एक मात्र आर्थिक और सैनिक 'महाशक्ति' बना। वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन जैसी संस्थाओं के माध्यम से उसने अपने व्यापार और अपने आधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन रूस की सैनिक शक्ति बरकरार रहने के कारण यूरोपीय देशों में भय बना रहा, इसलिए वे अमरीका से जुड़े रहे और नाटों जैसे सैनिक संगठनों को बनाये रखा, लेकिन आर्थिक रूप से यूरोपीय देशों ने अमरीका पर निर्भरता के बदले एकीकरण को अपनाया और मुक्त व्यापार, आवाजाही के साथ एक ही मुद्रा 'यूरो' को अपनाकर सदियों पुराने अपने अहंकारों का त्याग कर दिया। उधर वैश्वीकरण का लाभ उठाते हुये चीन औद्योगिक उत्पादन और व्यापारिक दुनिया में रूस से भी आगे बढ़कर दूसरे नम्बर की महाशक्ति बन गया है। चीन सैनिक शक्ति को भी बढ़ाता रहा है, लेकिन अमरीका की अर्थव्यवस्था से मुकाबला करने के लिए उत्पादन और विश्व व्यापार में अमरीकी साम्राज्य के लिए चुनौती बन चुका है।

इस दौर में दूसरे देशों पर सीधा कब्जा नहीं करके वहां अपनी समर्थक सरकारें बनाकर भूगर्भीय खनिजों पर कब्जा करना उद्देश्य हो गया है। अत: इस दौर को, 1990 के बाद के वैश्वीकरण के युग को परम्परागत सैनिक 'शीत युद्ध' नहीं कहकर 'व्यापारिक शीत युद्ध' कह सकते हैं। व्यापारिक शीत युद्ध के दौर में अमरीका और चीन प्रतिद्वंदी हैं। अपने विशाल साम्राज्य के होते हुए भूगर्भीय सहित सभी तरह के भूगर्भीय स्त्रोत रूस में उपलब्ध है। परन्तु, कभी महाशक्ति रह चुके सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस 'शीत युद्धकालीन' प्रभाव की चाहत रखता है। ना तो अमरीका और ना ही चीन सीधे हस्तक्षेप मे उलझना चाहते है क्योंकि इससे उनका प्रभुत्व क्षेत्र कम होने की सम्भावना है।

ऐसी स्थिति में, पेट्रोलियम के अलावा, स्टील, सोना तथा अन्य बहुमूल्य भूगर्भीय धातुएं, जो कि अत्याधुनिक संचार संसाधनों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम आने वाले उपकरणों, अत्याधुनिक हथियारों के निर्माण में काम आने वाली धातुओं की उपलब्धता जिन देशों में है वहां की सरकारों को अपने नियन्त्रण में रखने की कोशिशों में तथा अपने बनाये गये अत्याधुनिक हथियारों के परीक्षण के लिए छोटे देशों को आपस में लड़ाते रहना और उन्हें अपने हथियार उन्हें देते रहना उनका उद्देश्य है। ज्यादा दूर तक नहीं जाये तो, सोवियत संघ से विघटित देशों में, जैसे रूस व यूक्रेन में तीन वर्षों से भी अधिक समय युद्ध चल रहा है।

मध्यपूर्व देशों को उनके तेल भंडारों के पुन: वितरण के लिए देशों के काफी समय से लड़ाया जा रहा है- इजराइल को उकसा कर इस्लाम और परमाणु कार्यक्रम के बहाने ईरान को लड़वाया है, वेनेजुएला में अशान्ति, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार (बर्मा), अफगानिस्तान, कुछ अफ्रीकी देश आदि इस व्यापारिक शीत युद्ध के उदाहरण है। इस समय, डोनाल्ड ट्रंप के दुबारा राष्ट्रपति बनने के बाद आयात-निर्यात में ड्यूटी का बढ़ाना-घटाना, चीन को धौंस में लेने के लिए बेतहाशा ड्यूटी बढ़ाकर फिर समझौते के लिए आगे आना, यूक्रेन को हथियार देना और फिर भूगर्भीय धातुओं के लीज पर देने की असमर्थता के चलते यूक्रेन से हाथ खींच लेना क्योंकि यूक्रेन का बहुत बड़ा इलाका रूस के कब्जे में है और वह अमरीका से कोई समझौता नहीं कर सकता।

अमरीका हालांकि हिरोशिमा, नागासाकी को पिछले 80 वर्षों में कई बार दोहरा सकता था, खासतौर से जब वियतनाम, कम्बोडिया में पराजय का सामना करना पड़ा था, अफगानिस्तान से भागना पड़ा था। परन्तु सोवियत संघ के द